UPPG010044662026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राजीव रंजन, (एच.जे.एस.)
जे.ओ.कोड–यू.पी.–6221
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1777/2026

धर्मेन्द्र वर्मा उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र स्व. राम आसरे वर्मा साकिन नन्दलाल का पुरवा राजापुर रैनीया थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ़।

.......**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.......विपक्षी

सत्र परीक्षण सं.–603/2021
मु0 अ 0 सं0 : 127/2021
धारा–272 भा.द.सं. व 60/62
आबकारी अधिनियम
थाना–अंतू, जिला, प्रतापगढ़

18.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र वर्मा द्वारा अंतर्गत मु०अ०सं०–127/2021, अंतर्गत धारा–272 भा.द.सं. व 60/62 आबकारी अधिनियम, थाना–अंतू, जिला प्रतापगढ़ के अभियोग में यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में जमानत करा चुका है। बंधपत्र संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता मुकदमा खत्म कर देने को कहे थे। अभियुक्त पढ़ा लिखा न होने के नाते समझ नहीं पाया और उसके ऊपर एन.बी.डब्लू हो गया और वह गिरफ्तार होकर जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। सम्पूर्ण घटना झूठी व काल्पनिक है। कल्पनाओं पर आधारित है। प्रार्थी अभियुक्त एक सम्मानित व्यक्ति है, जिसकी छवि को धूमिल करने की नीयत से बाला–बाला तरीके से रपट दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी कभी का सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

3. विद्वान सहायक जिला शाकसकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत चल रही थी। अभियुक्त गैर हाजिर हो गया। अभियुक्त ने कथन

Digitally signed by Rajeev Ranjan
Date: 2026.07.03 16:12:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया है कि उसके अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मुकदमा खत्म करा देंगे। वह पढ़ा लिखा नहीं है तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं था और उसके विरूद्ध एन.बी.डब्लू जारी हो गया और वह गिरफ्तार होकर दिनांक 14.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त धर्मेन्द्र वर्मा द्वारा मुकदमा अपराध सं0–127/2021, अंतर्गत धारा–272 भा.द.सं. व 60/62 आबकारी अधिनियम, थाना–अंतू, जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाये कि वह प्रत्येक तिथि को न्यायालय क समक्ष उपस्थित रहेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL– 07/Admin 'G–II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e–Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक : 18.06.2026

(राजीव रंजन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, प्रतापगढ़।

दुर्गा प्रसाद/– स्टेनो